बदहाली | पर्यटक कहने लगे.. समय रहते कदम नहीं उठाया तो किला खंडहर में होगा तब्दील

उपेक्षा का शिकार ऐतिहासिक रानीदुर्गावती किला

बुनियादी सुविधाओं के अभाव में नजर आ रहे पर्यटक

नवभारत,जबलपुर। गोंडवाना साम्राज्य की शौर्य गाथा को समेटने वाला मदनमदहल स्थित रानी दुर्गावती का ऐतिहासिक किला वर्तमान समय में उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है। बावजूद इसके जबलपुर में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का निवास है। जानकारी के अनुसार पुरातत्व विभाग की अनदेखी, लापरवाही के चलते रानी दुर्गावती किला स्थल दिनों-दिन अपनी चमक तो खो ही रहा है साथ ही बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मोहताज नजर आ रहा है।

पर्यटक, जानकार अब ये कहने लगे हैं कि यदि समय रहते प्रशासन और जनप्रतिधियों, मंत्री ने रानी दुर्गावती किले के जीर्णोद्धार के लिए कदम नहीं उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब ये ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील हो जाए। वर्तमान परिदृश्य की माने तो अभी किले में अंधेरा और सुरक्षा का अभाव स्पष्ट नजर आ रहा है।

पैदल चलते-चलते पानी की सबसे ज्यादा लगी कमी

रविवार को अपने परिवार के साथ रानी दुर्गावती किलो घूमने गए राकेश श्रीवास्तव, माया चंदेल, राहुल बर्मन सहित कुछ अन्य पर्यटकों ने नवभारत से चर्चा के दौरान बताया कि उन्हें पहाड़ी पर स्थित रानी दुर्गावती के किले तक पहुंचने के बीच में पानी की सबसे ज्यादा समस्या हुई। हैरानी की बात तो यह है कि प्रशासन ने किले तक पानी की पाइपलाइन तो बिछा दी है लेकिन आज तक टंकियों तक पानी नहीं पहुंच पाया।

कुछ इस तरह की हैं समस्याएं

- पाइपलाइन होने के बाद भी टंकियां पानी को मोहताज।
- अंधेरा होते ही असामाजिक तत्वों का डेरा लगने लगता है।
- किले के नीचे से लेकर ऊपर तक सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं।
- टंकियों के टूटे पड़े नल।
- किले की ऐतिहासिक महत्ता बताने वाले शिलालेख टूट चुके हैं।
- किले परिसर में कही भी छायादार वृक्ष नहीं हैं जिससे कि गर्मी में पर्यटक इसके नीचे बैठ सकें।
- पहाड़ी से लेकर किले तक केवल एक गार्ड तैनात है, जो इतने बड़े परिसर की निगरानी करने में असमर्थ है।

महाधिवक्ता कार्यालय में आरक्षित वर्ग व महिलाओं को प्रतिनिधित्व दें : सुप्रीम कोर्ट

जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमएम सुंदरेश व जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की युगलपीठ ने अपने एक अहम आदेश में मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय में शासकीय अधिवक्ताओं की टीम में आरक्षित वर्ग व महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने कहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि इस संबंध में वैधानिक प्रविधान उपलब्ध नहीं है, लेकिन महाधिवक्ता यह सुनिश्चित करें कि वंचित समुदाय और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। इस मत के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मप्र में सरकारी वकीलों की नियुक्ति में ओबीसी व अन्य आरक्षित वर्ग को आरक्षण देने की मांग वाली याचिका का अंतिम निराकरण कर दिया।दरअसल, एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशनए जबलपुर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया गया था कि महाधिवक्ता कार्यालय में हालिया नियुक्तियों में अनुसूचित जातिए अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है।

मजदूर संघ के आगे झुका रेल प्रशासन

खिलाड़ियों की मांगों की सहमति के बाद धरना प्रदर्शन स्थगित

जबलपुर, नवभारत। महामंत्री अशोक शर्मा के निर्देश पर रेल खिलाड़ियो की ज्वलंत मांगो को लेकर रेल मजदूर संघ द्वारा आज 11 फरवरी को पश्चिम मध्य रेल जीएम कार्यालय के समक्ष होने वाले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन व घेराव को रेल खिलाड़ियो के मिल रहे जबरदस्त समर्थन से घबराकर पश्चिम मध्य रेल प्रशासन ने महाप्रबंधक शोभना बधोपाध्याय के निर्देश पर रेल प्रशासन द्वारा सुलह वार्ता का प्रस्ताव वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे मजदूर संघ को दिया संघ प्रवक्ता सतीश कुमार ने बताया कि प्रशासन के प्रस्ताव पर चार सदस्यीय संघ प्रतिनिधियो ने आज 10 फरवरी को संयुक्त महामंत्री संदीप श्रोती के नेतृत्व में प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी एस.डी. पाटीदार, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक कुशाल सिंह, प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधक एम. के. गुप्ता के साथ रेल खिलाड़ियो की ज्वलंत मांगो के प्रमुखता से रखा जिस पर रेल प्रशासन मांगो को सुलझाने की निम्न सहमति बनी है।

इन पर बनी सहमति

यूनियन के प्रवक्ता ने बताया कि स्पोर्टस सेल बनाया जाएगा जिसमें पर्याप्त संख्या में कर्मचारी पदस्थ होंगे 11 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट हेतु खिलाड़ियो को भंडार विभाग ने तत्काल रिलीव किया जाएगा भंडार विभाग में रिलीविंग में आ रही परेशानी को देखते हुए भंडार विभाग में पदस्थ सकिय खिलाड़ियो को अन्य विभाग के कर्मचारियों से रिप्लेस किया जाएगा और खिलाड़ियो को स्पोर्टस सेल के माध्यम से बेहतर सुविधाएं दी जाएगी रेलवे बोर्ड के नियमानुसार कार्मिक विभाग साल भर में अभ्यास व टूर्नामेंट के लिए अधिकतम विशेष आकस्मिक अवकाश देने का कलेंडर जारी किया जाएगा स्पोर्टस अधिकारी की नियुक्ति के लिए रेल प्रशासन व मजदूर संघ रेलवे बोर्ड स्तर पर संयुक्त प्रयास करेगा बैठक में संघ प्रतिनिधि सतीश कुमार, अनेश सिंह, मितेन्द्र कुमार भी उपस्थित रहे उक्त सफलता पर संघ ने 11 फरवरी को होने वाले धरना प्रदर्शन व घेराव को फिलहाल टाल दिया गया है।

बलात्कार के आरोप में युकां के प्रदेश सचिव को मिली जमानत

जबलपुर। बलात्कार के आरोप में जेल में निरुद्ध युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव को न्यायालय से जमानत का लाभ मिल गया है। अपर सत्र न्यायाधीश महिला कुशवाह ने न्यायालय के अनुमति के बिना देश नही छोडने की सषर्त पर जमानत का लाभ प्रदान किया है। गौरतलब है कि शादीशुदा महिला की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार का प्रकरण दर्ज करते हुए युवक कांग्रेस के प्रदेश सचिव ऋषभ मिश्रा की तरफ से दायर किये गये जमानत आवेदन में कहा गया था कि प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने शादी के प्रलोभन देकर उसके साथ विगत तीन सालो से दैहिक शोषण कर रहा था।

हम न्यायालय का आदेश नहीं मानते कहते हुये 50 हजार की डिमांड

विवादित जमीन पर स्टे के बावजूद किया निर्माण, पिता - पुत्र को धमका कर पीटा

नवभारत, जबलपुर। अधारताल थाना कुदवारी स्थित विवादित जमीन पर स्टे के बावजूद निर्माण किया जा रहा था जब पिता पुत्र ने विरोध किया तो उन्हें दूसरे पक्ष ने न केवल धमकाया बल्कि पिटाई भी कर दी और कहने लगे कि हम न्यायालय का आदेश नहीं मानते है। 50 हजार रूपये दो तो काम बंद कर देगें।

पुलिस ने बताया कि प्रहलाद रैकवार 52 वर्ष निवासी अमखेरा खेरमाई मंदिर के पास अधारताल ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह खेती किसानी करता है। उसके पिता कन्छेदीलाल रैकवार एवं अन्य के बीच में जमीन का मामला न्यायालय जबलपुर में चल रहा है केश चलने के दौरान न्यायालय से स्टे आर्डर प्राप्त हुआ है कि जब तक दोनों पक्षों का निर्णय न हो जाये तब तक उक्त जमीन में कोई भी निर्माण कार्य नहीं करेगा, वर्तमान में मामला न्यायालय में विचारधीन है। वह एवं उसके पिता कन्छेदीलाल रैकवार दोनों खेत देखने कुदवारी गये थे वहीं पर खेत पर निर्माण कार्य चल रहा था, उसने जाकर कहा कि जब न्यायालय का स्टे आर्डर कार्य नहीं करने का है तो तुम लोग काम क्यों कर रहे हो इसी बात पर कपिल रैकवार, आशीष रैकवार, आकाश रैकवार तीनों बोले कि 50 हजार रूपये दो तो काम बंद कर देगें, हम न्यायालय का आदेश नहीं मानते है कहते हुये उससे पैसों की मांग करने लगे, उसने 50 हजार रूपये देने से मना किया तो तीनों गाली गलोज करते हुये हाथ मुक्कों से मारपीट कर नाक में चोट पहुँचा दी। तीनों उसे एवं उसके पिता को जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गये।

पुलिस अधीक्षक दो माह में न्यायालय के समक्ष पेश करें चालान : हाईकोर्ट

जबलपुर। मंडला पुलिस के द्वारा दो साल पूर्व दर्ज किये गये अपराध में न्यायालय के समक्ष चालान पेष नहीं किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस बी पी शर्मा की एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक मंडला को संबंधित आपराधिक प्रकरण में 60 दिनों के अंदर न्यायालय के समक्ष चालान पेष करने के आदेश जारी किये है।

मंडला जिले की जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिंडरई के सरपंच संदीप मरकाम की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उप सरपंच आलोक तिवारी तथा अन्य के द्वारा 22 लाख 45 हजार रुपये का घोटाला किये जाने के संबंध में सितंबर 2023 में नैनपुर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपियों के अग्रिम जमानत का आवेदन हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2024 में आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ इस सषर्त के साथ प्रदान किया था कि ट्रायल व जांच में सहयोग करने पर उनके खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही नही की जाये।

याचिका में कहा गया था कि उक्त आपराधिक प्रकरण में निर्धारित समय सीमा के अंदर चालान पेष नहीं किया गया। पुलिस अधिकारियों को चालान पेष करने के लिए अभ्यावेदन दिया गया था। इसके बावजूद भी नैनपुर पुलिस द्वारा आपराधिक प्रकरण में चालान पेष नहीं किया जा रहा है। जिसके खिलाफ उक्त याचिका दायर की गयी है। एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए उक्त आदेश जारी किये। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पैरवी की।

सचिव को हटाने के मामले में पुनर्विचार के निर्देश, अयजगढ़ एसडीओ को हाईकोर्ट का आदेश

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पंचायत सचिव को हटाने के मामले को दोबारा एसडीओ अजयगढ़ को भेज दिया है। कोर्ट ने कहा कि एसडीओ सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनर्विचार कर अंतिम निर्णय पारित करें। अंतरिम राहत के तौर पर एसडीओं का निर्णय आने तक याचिकाकर्ता पद पर बना रहेगा। पन्ना निवासी संतोष कुमार शुक्ला की ओर से अधिवक्ता निशांत मिश्रा व मनीष रजक ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत मोहाना में पंचायत सचिव के पद पर पदस्थ था। सरपंच के आदेश पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर 2004 में उसे पद से हटा दिया गया। इसके बाद एसडीओं ने याचिकाकर्ता की अपील स्वीकार कर सरपंच द्वारा पारित सेवामुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया था। सरपंच ने उस आदेश के खिलाफ कलेक्टर के समक्ष अपील की। कलेक्टर ने एसडीओं के आदेश को निरस्त कर दिया। इसलिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। दलील दी गई कि एसडीओं ने आदेश पारित करने के दौरान शिकायतकर्ता सरपंच को सुनवाई का अवसर नहीं दिया था। हाईकोर्ट ने सभी आदेदेश निरस्त कर मामले को पुन: एसडीओं को भेज दिया।

पति ने पकड़ा, पत्नी ने ऑटो चालक पर किया हमला

जबलपुर। बेलबाग थाना अंतर्गत झामनदास चौक में किराए के विवाद पर पति ने ऑटो चालक को पकड़ लिया और पत्नी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक अनुज कोरी 30 वर्ष निवासी तुलसी मोहल्ला प्रकाश बेलबाग ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गोपाल होटल से सवारी छोडकर स्टेशन जा रहा था झामनदास चौक पहुंचा तो सवारी एक महिला नंदनी चौधरी, चन्द्रकिशोर चौधरी बोले हमे हाई कोर्ट जाना है, उसने उनसे कहा कि 20-20 रुपये लगेगा तो उन्होंने बोले कि 15-15 रुपये देगें तो उसने कहा बैठ जाओ, कुचबंदिया मोहल्ला पहुंचा तो उसे एक सवारी हनुमानताल की मिली उसने उनसे बोला कि 30 रुपये लगेगा उसी समय जो पहले बैठी सवारी महिला नंदनी चौधरी और चन्द्रकिशोर बोले कि तुम ज्यादा पैसा ले रहे हो, दोपहर लगभग सामुदायिक भवन बाई का बगीचा पहुंचा तो महिला नंदनी व चन्द्रकिशोर उससे किराये की बात को विवाद कर कहा किराया नहीं देगें, चन्द्रकिशोर ने उसे पकड लिया एवं नंदनी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर चोट पहुंचा दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज आरोपी चंद्रकिशोर 30 वर्ष निवासी झामनदास चौक को अभिरक्षा में लेते हुये फरार आरोपी नंदनी चौधरी की तलाश जारी है।

डॉक्टर की चालबाजी, फर्जी दुर्घटना क्लेम की हो निष्पक्ष जांच

नवभारत, जबलपुर। मेरा वाहन पिछले 6 महीनों से कुंडम थाने में डॉ. अमित खरे की चालबाजी और फर्जी दुर्घटना क्लेम के चलते थाने में खड़ी है। मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएं और मेरा वाहन मुझे दिलाया जाये साथ ही डॉक्टर पर कानूनी कार्रवाई की जाए। ये शिकायत शिवलाल मल्लाह पिता नन्नू लाल मल्लाह 52 वर्ष निवासी ग्राम बिलपठार ने पुलिस अधीक्षक से की है। शिकायत में बताया कि वे अमित खरे से पिछले कई वर्षों से परिचय है। 22 जनवरी 2025 को अमित खरे का फोन उसके पुत्र करन मल्लाह के पास आया और गाडी लेकर जबलपुर एलआईसी ऑफिस स्थित स्मार्ट सिटी हास्पिटल बुलाया इसके बाद वैन क्रमांक एमपी 20 बीए 6728 लेकर पहुंचे बोला कि कुंडम तक एक मरीज को देखने चलना है। पांच अ न्य साथी भी थे जिनको लेकर कुंडम पहुंचे इसके बाद उन्होने उसे चायर पीने एक होटल में रोका और तीनों चारों उसकी गाडी लेकर चले गए थे। थोडी देर बाद लौट कर कहने लगे कि वेन का एक्सीडेंट हो गया।इसके बाद उसे पता चला कि यह लोग फर्जी दुर्घटना का काम कर रहे है। इसके बाद गाडी मांगने पर लगातार धमकी दी जाती रही। पुलिस ने कार जब्त कर ली थी जो उसे वापिस नहीं मिली।

50 वारंटी, 22 तस्कर, 4 चाकूबाज गिरफ्तार

नवभारत, जबलपुर। पिछले 24 घंटे में शहर व ग्रामीण अंचल की पुलिस ने कई वर्षो से फरार 5 गैरम्यादी, 45 म्यादी वारंटी, को गिरफ्तार किया गया है। 22 तस्करों के 34 आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 28 पाव देशी, अंग्रेजी एवं 418 लीटर कच्ची शराब, जप्त की गयी। 4 बदमाशों के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 4 चाकू जप्त किये गये, इसके साथ ही 168 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुये 82 हजार 300 रूपये समन शुल्क वसूला गया।

शराब के जखीरे समेत तस्कर पकड़ाए

नवभारत, जबलपुर। माढ़ोताल व पाटन पुलिस ने कार्यवाही करते हुए अवैध शराब के कारोबार में दो तस्करों को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से 416 पाव देशी एवं 6 बॉटल अंग्रेजी शराब व जुपिटर जप्त की गई। माढोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पवार ने बताया कि उमरिया रोड पर घेराबंदी कर संजय सैनी 22 वर्ष निवासी हनुमानताल को पकड़ा गया।बोरी एवं थैले की तलाशी लेने पर 320 पाव देशी शराब मिला। संजय सैनी आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है जिसके विरूद्ध आबकारी एक्ट, जुआ, सट्टा सहित पूर्व से 7 अपराध दर्ज हैं। इसी प्रकार पाटन पुलिस ने नुनसर तिराहा के पहले दबिश दी। जुपिटर क्रमांक एमपी 20 जेड बाई 1580 को रोककर चालक

दीपू पंडित पिता कन्हैया पाण्डे 28 वर्ष निवासी बधैया मोहल्ला थाना हनुमानताल को पकड़ा।जुपिटर के पैरदान पर एक थैला रखा मिला जिसकी तलाशी लेने पर 2 कार्टून में कुल 96 पाव देशी शराब एवं जुपिटर की डिक्की में 1 पेटी में ओल्डमंक थ्री एक्स की 06 बॉटल रखी मिली, आरोपी दीपू पाण्डे से उक्त शराब परिवहन के संबंध में पूछताछ करने पर मोनू बंशकार के द्वारा उक्त शराब देने पर मोनू वंशकार की जूपिटर से शराब बेचने पाटन जाना बताया।

पहले चरण में 77 हजार में से 63 हजार आवेदनों का निराकरण

संकल्प से समाधान अभियान में घर-घर जाकर आवेदन संग्रह

नवभारत,जबलपुर। जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर चल रहे 'संकल्प से समाधान' अभियान के पहले चरण में 77,378 आवेदनों में से 63,739 का सफलतापूर्वक निराकरण किया गया है। इनमें 63,623 आवेदन स्वीकृत हुए, जबकि 116 आवेदन अस्वीकार किए गए और 13,639 आवेदन लंबित हैं। अभियान के पहले चरण में 12 जनवरी से 15 फरवरी तक ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर दलों द्वारा घर-घर जाकर या शिविर लगाकर आवेदन प्राप्त किए गए। सभी आवेदन सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज कर संबंधित विभागों को भेजे गए, और निराकरण की स्थिति भी पोर्टल पर अपडेट की गई। जिले में अभियान के दौरान कुल 88 शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 80 क्लस्टर स्तर, 7 विकासखंड स्तर और 1 जिला स्तर शिविर शामिल है।

दूसरे चरण से होगा लंबित आवेदनों का निराकरण

16 फरवरी से 16 मार्च तक अभियान का दूसरा चरण क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाकर अनिराकृत आवेदनों का निराकरण करेगा। नागरिक इन शिविरों में नए आवेदन भी जमा कर सकेंगे। 16 मार्च से तीसरे चरण में खंड स्तर पर और 26 मार्च से 31 मार्च तक चौथे चरण में जिला स्तर पर अंतिम शिविर आयोजित कर सभी शेष आवेदन और शिकायतों का समाधान किया जाएगा। इस अंतिम चरण में लाभार्थियों को हितलाभ मौके पर वितरित किए जाएंगे।

लंबे समय से फरार पांच आरोपी हुए ईनामी

नवभारत, जबलपुर। लंबे समय से फरार पांच आरोपितों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने ईनामी घोषित कर दिया है। जानकारी अनुसार विजयनगर थाने में हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं के तहत दर्ज अपराध में फरार चल रहे सचिन पटेल पिता रोकड़ पटेल निवासी विजयनगर, भानू पटेल पिता मोहन पटेल निवासी ग्राम बेनीखेड़ा पाटन एवं सिविल लाईन थाने में दर्ज प्रकरण में वेद रजक पिता व्ही.पी. रजक 35 वर्ष, आशुतोष रजक पिता रमेश रजक 35 वर्ष दोनों निवासी आई.जी.कम्पाउण्ड सिविल लाईन प्रत्येक पर पांच पांच हजार रूपए का ईनाम घोषित किया गया है। जबकि हनुमानताल थाना में दर्ज बलात्कार के मामले में फरार कीब्रिया अंसारी पिता छिद्दी समोसा 45 वर्ष निवासी पचकुईया जोगी मोहल्ला 16 क्वाटर हनुमानताल पर चार हजार रूपये का ईनाम घोषित किया गया है।

वेलेंटाईन डे की आड़ में नहीं हो अश्लीलता

जबलपुर। वेलेंटाईन डे की आड़ में अश्लीलता फैलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिन्दू धर्म सेना के पदाधिकारियों पुलिस ने केंट पुलिस को ज्ञापन सौंपा। साथ ही यह भी बताया कि वेलेंटाईन डे पर हिन्दु धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राजपूत के नैतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा गार्डन, पिकनिक स्पाट, होटल, रेस्तरों, बाजार आदि सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण किया जाएगा ताकि वेलेंटाईन डे के नाम पर अश्लीलता व फूहड़ता को रोका जा सके। मंगलवार को हिन्दू धर्मसेना के पदाधिकारी केंट थाने पहुंचे थे। साथ ही वेंटाईन डे की आड़ में होने वाली अश्लीलता रोकने की मांग भी की।

ननि जनसुनवाई में शिकायतों का किया गया त्वरित निराकरण

नवभारत,जबलपुर। नगर निगम मुख्यालय में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में कुल 41 आवेदन प्राप्त हुए वहीं 16 संभागों में 25 पत्र प्राप्त हुए, जिनका त्वरित निराकरण कराया गया और नागरिकों को राहत प्रदान की गयी। अपर आयुक्त अरविंद शाह और जनसुनवाई प्रभारी सहायक आयुक्त वेद प्रकाश ने बताया कि मुख्यालय में प्राप्त कुल 41 शिकायतों में सर्वाधिक 12 अतिक्रमण विभाग, 8 भवन शाखा, 5 स्थापना, 2 स्वास्थ विभाग, 3 कॉलोनी सेल, 2 लोककर्म, 2 सम्पदा, 1 पेंशन शाखा, 1 पी.एम.ए.व्हाय., 1 राजस्व, 1 उद्यान, 1 योजना, 1 कार्यालय अधीक्षक एवं 1 संभाग क्रमांक 13 से संबंधित है। समस्त शिकायतों को संबंधित विभाग में प्रेषित किया गया व कुछ शिकायतों का राजस्व एवं स्वास्थ विभाग द्वारा त्वरित निराकरण किया गया। जनसुनवाई में उपायुक्त अंकिता जैन, सुनील दुबे, इंद्रकुमार वर्मा, दीपक शर्मा, महेश शर्मा, सतीश मिश्रा, असद, रंजू, प्रदीप व समस्त विभागीय प्रमुख व प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सुविधा | बिना दिक्कत के सीट पर मिलेगा खाना

आईआरसीटीसी ने शुरू की ई-पैंट्री सर्विस

जबलपुर, नवभारत। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए समय-समय पर ऐसे बदलाव करता रहता है, जिससे यात्रियों की यात्रा सुगम बनाई जा सके और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। इसी कड़ी में आईआरसीटीसी ने ई-पैंट्री सर्विस शुरू की है। इसके जरिए यात्री 25 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में ऑनलाइन खाना और पानी पहले से बुक कर सकते हैं। खाना सीधे यात्रियों को उनकी सीट तक पहुंचाया जाएगा।इस सर्विस को उन ट्रेनों के लिए शुरू किया गया है, जिनमें खाना शामिल नहीं होता है। दरअसल, आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे का हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म विभाग है, यह कैटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम देखता है आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, ई-पैंट्री सेवा यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और तकनीक से यात्रा को बेहतर बनाने का हिस्सा है।

ई-पैंट्री काम ऐसे करेगी

यह सर्विस सिर्फ उन ट्रेनों के लिए है जहां टिकट में खाना शामिल नहीं होता ई-पैंट्री सर्विस का फायदा आईआरसीटीसी की टिकट बुकिंग वेबसाइट और ऐप से लिया जा सकता है ऑर्डर करने के बाद यात्री को एसएमएस या ईमेल से कन्फर्मेशन मैसेज और मील वेरिफिकेशन कोड मिलेगा यात्रा के दौरान वेंडर को यह एमवीसी या एसएमएस दिखाकर खाना लिया जा सकता है।

बता दें कि आईआरसीटीसी ने पहले इस सर्विस को भारत की सबसे लंबी दूरी वाली ट्रेनों में से एक विवेक एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 22503/04 में स्टार्ट किया था अब इस सर्विस को 25 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी शुरू कर दिया गया है।

इन ट्रेनों में शुरू हुई सेवा

सूत्रो से मिली जानकारी अनुसार स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, मंगला द्वीप एक्सप्रेस, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस, पुष्पक एक्सप्रेस, पश्चिम एक्सप्रेस, नेत्रावती एक्सप्रेस, ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, आजाद हिंद एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस और अहमदाबाद-बरौनी एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में प्रारंभ किया गया है।

ई-पैंट्री सर्विस उन ट्रेनों में बहुत उपयोगी है, जहां कैटरिंग नहीं होती इस सर्विस के जरिए यात्रियों को साफ-सुथरा और हाइजीनिक खाना बिना किसी चिंता के मिलेगा। आईआरसीटीसी का कहना है कि यात्रियों के फीडबैक और जरूरत के हिसाब से इस सर्विस को और ज्यादा ट्रेनों में बढ़ाया जाएगा।